न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1533/2004/उदयपुर

1. मु0 केशरबाई बेवा स्वर्गीय खुमसिंह – नाम तर्क
2. रामसिंह पुत्र स्वर्गीय खुमसिंह
3. भंवरसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   - 3/1. चन्दाकंवर बेवा भंवरसिंह
   - 3/2. मानसिंह पुत्र भंवरसिंह
   - 3/3. हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह
   - 3/4. शम्भुसिंह पुत्र भंवरसिंह
   - 3/5. मीराकंवर पुत्री भंवरसिंह

   –समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम पातलपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. हीमसिंह
5. जवानसिंह

   –समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम पातलपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
6. मु0 सोहनबाई पुत्री खुमसिंह पत्नि रामसिंह निवासी ग्राम पोदावली तहसील व जिला राजसमन्द

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. मु0 सायरबाई पत्नि स्वर्गीय अभयसिंह
2. मनोहरसिंह पुत्र अभयसिंह

   –समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम पातलपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. मु0 हिम्मतबाई पुत्री अभयसिंह पत्नि पूरणसिंह राजपूत निवासी सूरजी का गुडडा (डालो का खेडा) तहसील मावली जिला उदयपुर
4. नाहरसिंह पुत्र अभयसिंह निवासी ग्राम पातलपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. विजयसिंह पुत्र अभयसिंह निवासी ग्राम पातलपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
6. मु0 भूरकंवर पुत्री अभयसिंह राजपूत पत्नि लेहरसिंह निवासी ग्राम दमाता तहसील व जिला राजसमन्द
7. मु0 समुन्दकंवर पुत्री अभयसिंह पत्नि बहादुरसिंह राजपूत निवासी ग्राम बाडा तहसील आमेट
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

....प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वाई.डी. शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री पी0एस0दशोरा, अधिवक्ता, विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः– 29–07–2019

हस्तगत् द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील सं. 24/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर नाथद्वारा के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम पातलपुर तहसील नाथद्वारा स्थित वाद पत्र में अंकित आराजियात कुल किता 20 कुल रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद का प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 5 विवाद्यक कायम कर उनको विवेचित करते हुए निर्णय दिनांक 26–12–2001 द्वारा वादी का दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2004 द्वारा खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध

अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत है। उनका कहना है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उनके वाद को पूर्व–निर्णयन से बाधित होना मानकर भूल की है। उनका कहना है कि अपीलीय न्यायालय ने विवाद्यकवार निर्णय पारित नहीं कर जाप्ता दीवानी के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है। आगे बताया कि अपीलान्ट खुमसिंह के उत्तराधिकारी है व खूमसिंह, भैंरूसिंह का लडका है। मृतक चतरसिंह भी भैंरूसिंह का लडका है, जिसके कोई औलाद नहीं थी। इस कारण से चतरसिंह की जायदाद के उत्तराधिकारी उनके सगे भाई बागसिंह व खुमसिंह बने। बागसिंह के उत्तराधिकारी उनका लडका अभयसिंह एवं उनकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 है व खूमसिंह के उत्तराधिकारी अपीलान्ट है। इस प्रकार विवादित आराजी में अपीलान्ट का आधा हिस्सा है व रेस्पोडेन्ट का आधा हिस्सा है। उनका आगे कहना है कि पूर्व निर्णय मातमी व बंदोबस्त के इन्द्राज के बाबत थे, उसमें पक्षकारों के स्वत्व व अधिकारों का निर्धारण तो नहीं हुआ है तथा कहा कि स्वत्व व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में होता है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 11 सीपीसी को न तो पढा है और नहीं समझा है, क्योंकि धारा 11 में स्पष्ट लिखा है कि पूर्व के वाद में तनकी बनाकर पक्षकारों के बीच निर्णय हो जावे तो वह निर्णय पक्षकारों बीच रेसज्यूडिकेटा हो जाता है। जबकि पूर्व वाद में तनकी नहीं बनाया जाना सिद्ध है। मातमी नियमों के तहत मण्डल में पूर्व में हुए प्रकरण के विचारण में प्रार्थी पक्षकार नहीं था, इस कारण से वह बाध्यकारी नहीं है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2004 व सहायक कलक्टर नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2001 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने बहस में कहा कि अपीलार्थीगण ने दावा वर्ष 1992 में दर्ज किया है, जो मण्डल के निर्णय पारित होने के बाद 32 वर्षो दायर किया है, इस कारण उक्त निर्णय का कोई आधार नहीं है। यहीं नहीं राजस्व मण्डल की पूर्व माननीय खण्ड पीठ ने निर्णय दिनांक 30–6–1966 को विवादित आराजी बाबत अन्तिम निर्णय पारित कर दिया गया। उनका आगे कहना है कि चतरसिंह का देहान्त सम्वत 1998 में हो गया था और राजस्व रेकार्ड में चतरसिंह जागीरदार दर्ज थे। इसके अतिरिक्त चतरसिंह के देहान्त के कारण मण्डल के निर्णय द्वारा बागसिंह को चतरसिंह के स्थान पर जागीरदार माना गया है। आगे कहा कि वादी स्वच्छ हाथों से वाद लेकर नहीं आया है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में आलोच्य प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत निष्कर्ष है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

7. पत्रावली की अवलोकन से ज्ञात होता है कि सहायक जिला कल्क्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमंद ने दिनांक 26–12–2001 को वाद संख्या 148/1992 को रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज कर दिया। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 04–02–2004 द्वारा अपील खारित कर दी व परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–12–2001 यथावत रखा। हस्तगत अपील में एक ही प्रश्न है, जिस

पर निर्णय दिया जाना है वह है कि क्या इस प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है अथवा नहीं? इसका विनिश्चय करने के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 का अध्ययन करना आवश्यक है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 इस प्रकार हैः–

> "Res judicata - No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the **same parties**, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the **same title**, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court."

उक्त प्रश्न को निर्धारित करने के लिए देखना होगा कि वाद संख्या 148/1992 की विषयवस्तु क्या थी और अनुतोष क्या चाहा गया था। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में भैंरूसिंह का शजरा दिया गया है और बताया गया है कि भैंरूसिंह के तीन पुत्र थे। सबसे बडा चतरसिंह जो लाऔलाद बिला औरत था। द्वितीय पुत्र बाघसिंह था जिसकी मृत्यु हो गई जिसका पुत्र उभयसिंह था, जिसकी भी मृत्यु हो गई व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 उत्तराधिकारी है। तीसरा पुत्र खूमसिंह था जिसकी भी मृत्यु हो गई है और वादीगण/अपीलान्ट्स उसके विधिक वारिसान है। प्रकरण में विवादित आराजी रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा है जो पैतृक है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 में कथन किया कि भैंरूसिंह की मृत्यु के बाद समस्त आराजी चतरसिंह के खाते में दर्ज हो गई और चतरसिंह की मृत्यु के बाद उक्त आराजी बाघसिंह व खुमसिंह के नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज कर दी गई। बाद में भू प्रबन्ध अधिकारियों ने समस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज अभयसिंह के खाते में दर्ज कर दी। वादीगण ने अनुतोष चाहा है कि उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 हिस्सा घोषित किया जाये।

8. प्रतिवादीगण ने वादोत्तर प्रस्तुत किया और कथन किया कि भैंरूसिंह जागीरदार थे और उनकी मृत्यु के बाद चतरसिंह को विधि अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30–06–1966 के

अनुसार भैंरूसिंह का उत्तराधिकारी माना। चतरसिंह ने बाघसिंह को गोदपुत्र बना लिया, इस कारण चतरसिंह की मृत्यु होने के बाद समस्त भूमि बाघसिंह के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी जो बाघसिंह व खुमसिंह के खाते में 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज कर दी गई और बाद में भू प्रबन्ध अधिकारियों के समक्ष उक्त त्रुटि ध्यान में लाई गई तब सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 29-01-1972 में आदेश दिया कि विवादित आराजी को अभयसिंह के खाते में दर्ज किया जाये व खुमसिंह का इन्द्राज हटाया जावे। इसके बाद उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष की गई, जिन्होंने उक्त आदेश को यथावत रखा और पुनः अपील अतिरिक्त भू प्रबन्ध आयुक्त को की गई, जिन्होंने भी उक्त आदेश को यथावत रखा। वादीगण के पूर्वज खुमसिंह ने निगरानी संख्या 484/एलआर/74 राजस्व मण्डल में दायर की थी, जिसमें दिनांक 20-11-1975 को निर्णय किया गया और निगरानी खारिज कर दी गई।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि एवं पक्षकार वहीं हैं जो पूर्व प्रकरण संख्या 484/एलआर/74 राजस्व मण्डल में थे। अतः इस प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त पूर्वरूपेण लागू होता है। 2017 आरबीजे 117 में माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण स्वामी आत्मानंद एवं अन्य बनाम श्री रामकृष्ण तपोवन एवं अन्य 2005 (10) एससीसी 51 में निम्नानुसार उद्धरत किया है -

> "Yet recently in Swamy Atmananda and Ors. Vs. Shri Ramakrishna Tapovanam in which one of us was a party, this Court observed : (SCC p.61, paras 26-27)
>
> "26. The object and purport of principle of res-judicata as contained in Section 11 of the Code of Civil Procedure is to uphold the rule of conclusiveness of judgment, as to and law, in every subsequent suit between the same parties. Once the mattere which was the subject matter of lis stood determined by a competent court, no party thereafter can be permitted to reopen it in a subsequent litigation. Such a rule was brought into the statute book with a view to bring the litigation to an end so that the other side may not be put to harassment.

27. The principle of res judicata envisages that a judgment of a court of concurrent jurisdiction directly upon a point would create a bar as regards a plea, between the same parties in some other matter in another court, where the said plea seeks to raise afresh the very point that was ddetermined in the earlier judgment."

इस प्रकार उक्त नजीर इस प्रकरण पर पूरी तरह चस्पा होती है। उपर्युक्त तथ्यों व नजीर के आधार पर यह भलीभांति साबित होता है कि प्रकरण में विवादित भूमि व पक्षकार दोनों एक समान हैं जिसमें पूर्व में एक प्रकरण में दिनांक 20–11–1975 को राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय हो चुका है। हस्तगत मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी के वाद को पूर्व–निर्णयन के सिद्धान्त से बाधित मानते हुए विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार समवर्ती निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार

के अन्तर्गत विधि सम्मत समवर्ती निर्णय पारित किए है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

10. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04-02-2004 एवं सहायक कलक्टर नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-12-2001 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य